



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 29, 2018/ज्येष्ठ 8, 1940

No. 198]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 29, 2018/JYAISTHA 8, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2018

फा. सं. आरईजी/11/27/बीईवीओ-लेबलिंग/एफएसएसआई-2018.—खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, उक्त उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, प्रकाशित करता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफ़डीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली – 110002 या ईमेल – regulation@fssai.gov.in को भेजे जा सकेंगे;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त हों, खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप विनियम

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) प्रथम संशोधन विनियम, 2018 है ।
- (2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 में, (जिन्हें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा जाएगा)—

(1) विनियम 2.3 में, उप-विनियम 2.3.3 में, द्वितीयक परंतुक के लिए, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि उप-विनियम 2.4.2 और 2.4.4 के अधीन अपेक्षित लेबल घोषणा कि दशा में उत्पाद के उपयोग या तैयारी के लिए अनुदेश विनिर्दिष्ट करने वाली घोषणा कि दशा के सिवाय, अक्षरों का आकार 3 मि. मी. (एमएम) से कम नहीं होगा।”

(2) विनियम 2.4 में, उप-विनियम 2.4.2 में, खंड 11 के लिए, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“11. प्रत्येक पैकेज पर, जिसमें खाद्य तेलों का अधिमिश्रण है, ब्रांड नाम के तुरंत बाद निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात् :—

सम्मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल

(खाद्य वनस्पति तेल का नाम और प्रकृति).....भार के अनुसार प्रतिशत

(खाद्य वनस्पति तेल का नाम और प्रकृति).....भार के अनुसार प्रतिशत

(*अर्थात् कच्चे या परिष्कृत रूप में)

लेबल घोषणा “सम्मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल” का फ्रॉन्ट आकार 5 मिमी (एमएम) से कम नहीं होगा:

परंतु यह कि लेबल घोषणा में फ्रॉन्ट आकार 10 मिमी से कम न हो, यदि पैकेज में निहित खाद्य तेलों की शुद्ध मात्रा 1 लीटर से अधिक हो।

उत्पाद के नाम के साथ सामने मध्य पैनल पर काले मोटे अक्षरों में निम्नलिखित घोषणा भी होगी,-

खुला विक्रय ना किया जाए

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./74/18]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधन किए गए थे :-

(i) फा. सं.4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;

(ii) फा. सं. पी.15014/1/2011-पी.एफ.ए./एफ.एस.एस.ए.आई., तारीख 27 जून, 2013;

(iii) फा. सं. 1-83एल./एससीआई.पैन-अधि./एफ.एस.एस.ए.आई.-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;

(iv) सं. 3-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य लेबलिंग)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;

(v) फा.सं.1(94)2015/अधिसूचना पी एंड एल/प्रव./एफ.एस.एस.ए.आई, तारीख 25 मई, 2016;

(vi) सं. 3-14पी /अधिसूचना (न्यूट्रास्टिकल्स)/एफएसएसएआई -2013, तारीख 13 जुलाई, 2016 और

(vii) फा.सं. 1-120(2)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2018

F. No. REG/11/27/ BEVO-Labeling/FSSAI-2018.—The following draft of certain regulations to further to amend the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India, proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (k) of sub-section (2) of section 92 read with section 23 of the Food

Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (1) of section 92 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, will be considered by the Food Authority.

Draft regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) First Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 (herein after refer as said regulations), —

(1) In regulation 2.3, in sub-regulation 2.3.3, for second proviso, the following shall be substituted, namely:—

“Provided further that in case of label declarations required under sub-regulations 2.4.2 and 2.4.4 except in case of declaration specifying instructions for use or preparation of the product, the size of numeral and letters shall not be less than 3mm.”

(2) In regulation 2.4, in sub-regulation 2.4.2, for clause 11, the following shall be substituted, namely:-

“11. Every package containing an admixture of edible oils shall carry the following label declaration immediately below its brand name, namely:—

<p>Blended Edible Vegetable Oil</p> <p>(Name and nature* of edible vegetable oil)% by weight</p> <p>(Name and nature* of edible vegetable oil).....% by weight</p>
--

(*i.e. in raw or refined form)

The font size of the label declaration “Blended Edible Vegetable Oil” shall not be less than 5 mm:

Provided that the font size of the label declaration shall not be less than 10 mm in case the net quantity of the edible oils contained in the packages is more than 1 litre.

There shall also be the following declaration in bold capital letters along with the name of product on front/central panel,—

<p>NOT TO BE SOLD LOOSE”</p>

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[Advt.—III/4/Exty./74/18]

Note.: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:

(i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;

(ii) F.No. P 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013;

(iii) F. No. 1-83L/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated the 17th February, 2015;

(iv) No. 3-16/ Specified Foods/Notification(Food Labelling)/FSSAI-2014, dated 3rd May, 2016;

-
- (v) F. No. 1(94)2015/Notification P&L/Enf/FSSAI, dated 25th May, 2016;
- (vi) No.3-14P/Notification(Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated 13th July, 2016 and
- (vii) F. No. 1-120(2)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, dated 23rd August, 2016.